

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में  
सी.एम.पी. संख्या 431/2019

-----

नूनू राम दास

--- याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

--- उत्तरदातागण।

-----

**कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति आनंदा सेन।**

माध्यम : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

-----

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अजय कु. पाठक, अधिवक्ता।

विपरीत पक्ष के लिए: श्री अभिजीत अभिलाष तिर्की, एससी-III के एसी

-----

03/17.12.2021: यह याचिका डब्ल्यू पी.(एस) संख्या 7263/2016 की पुनर्बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 4.2.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर दोषों को दूर नहीं कर सका। वे आगे निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी रिट याचिका को बहाल किया जाता है, वह रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोषों को दूर कर देगा।

वह बिना शर्त माफी भी मांगता है।

उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

फलस्वरूप, तीन सप्ताह के भीतर रिट याचिका में रजिस्ट्री द्वारा बताए गए दोष को दूर करने का निर्देश देते हुए डब्ल्यूपी (एस) संख्या 7263/2016 को उसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया.)

अनु/-CP2.